

प्राचीन भारतीय वांगमय में राजा की अभियोग्यता

डॉ. दयाशंकर तिवारी

एसोसिएट प्रोफेसर, इलाहाबाद पी जी कालेज इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

प्रस्तावना

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मात्स्यन्याय के सिद्धान्त का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का मत है कि मात्स्यन्याय से पीड़ित होकर लोग मनु को अपना राजा बनाते हैं। मनु का मत है कि जब सभी भयग्रस्त होकर इधर-उधर भागने लगे तब ब्रह्मा ने इस विश्व की रक्षा के लिए राजा का प्रणयन किया। मात्स्यन्याय का उल्लेख रामायण, शान्तिपर्व तथा कामन्दकीयनीतिसार में भी मिलता है। कालिदास ने रघुवंश नामक ग्रन्थ में राजा के अभाव में प्रजा की दुर्दशा का वर्णन किया है। अनाथदीनाः प्रकृतिरवेक्ष्य साकेतनाथं विधिवच्चकार। राजा दशरथ की मृत्यु एवं राम के वनगमन के उपरान्त अयोध्या की अनाथ प्रजा भरत की शरण में जाती है। विशाखदत्त ने भी राजा के न रहने पर प्रजा के कष्टों का उल्लेख किया है— स्वामिविरहात् सुशिक्षितः प्रयत्नेषु। राजा के गुण—राजा के गुणों का उल्लेख धर्मग्रन्थों में मिलता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा गया है कि राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, परन्तु राजा के गुणों की विस्तृत सूची कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दी है। इन गुणों को पी०वी०काणे ने तीन भागों में विभक्त किया है, जैसे कुलीनता, धर्मपरायणता, प्रफुल्लता, बड़ों के प्रति सम्मान भावना, सदाचारिता, सत्यवादिता, वचनवद्धता, कृतज्ञता, विशालचित्तता, उत्साह, सामन्तों को बस में रखने की क्षमता ये राजा के आभिगामिक गुण हैं, सीखने की आकांक्षा, अध्ययन एवं चिन्तन की प्रवृत्ति, धारण करने की सामर्थ्य, वाद—विवाद के उपरान्त निर्णय के प्रति श्रद्धा ये राजा के बुद्धि विषयक गुण हैं, इन गुणों का वर्णन करने के उपरान्त कौटिल्य ने राजा के आत्मसंपत्त गुणों का वर्णन किया है जैसे उचित वचन बोलने वाला, बुद्धि और बल से युक्त, समुचित दण्ड देने वाला, देशकाल और शक्तियों को ध्यान में रखकर आचरण करने वाला। याज्ञवल्क्य स्मृति में राजा के शक्तिशाली दयालु, संयमित मन एवं विचार वाला, सुख—दुःख में समान रहने वाला, अच्छे मातृ एवं पितृ कुल वाला, वचन एवं कर्म में मृदुल, अपने राज्य के दुर्बल स्थलों की रक्षा करने वाला, ब्राह्मणों के प्रति सहनशील, मित्रों के प्रति उदार, शत्रुओं के प्रति कठोर, अनुचरों तथा प्रजाजनों के प्रति पितृवत् व्यवहार करने वाला आदि गुणों से युक्त बताया गया है। मनुस्मृति, शान्तिपर्व, कामन्दक, शुक्र आदि में भी राजा के इसी प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है। कालिदास ने भी राजा के गुणों का उल्लेख किया है। रघुवंश में इसका वर्णन मिलता है कि राजा अतिथि के गुण उनके राज्यभार ग्रहण करने के साथ—साथ प्रकट होते हैं। राजा दिलीप के तेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो क्षत्रियों का धर्मवीरत्व उनके शरीर में इस आशय से प्रविष्ट हुआ है कि सज्जनों की रक्षा तथा दुर्जनों के विनाश का कार्य उनके माध्यम से सम्पन्न होगा। इसी प्रकार उनके आचरण से ऐसा प्रतीत हो है कि शान्त रहने, क्षमा करने तथा आत्म प्रशंसा से अपने को दूर रखने का गुण भी ज्ञान, शक्ति और त्याग के

साथ—साथ उत्पन्न होते हैं¹—ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्ययः। कालिदास ने बड़ों के प्रति सम्मान भावना तथा विनम्रता जैसे राजा के गुणों का उल्लेख किया है। इन गुणों के अतिरिक्त कालिदास ने राजा के अन्य बुद्धि विषयक गुणों जैसे—चरित्र की पवित्रता, कार्य के प्रति दृढ़ता, साम्राज्य की विशालता शास्त्रों के अनुसार आचरण, दानशीलता, समुचित दण्ड, सत्य की रक्षा— यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम्। यथापराधदण्डानां यथाकाल प्रबोधिनाम्।। मितभाषित कुलीनता प्रसन्नता धर्मपरायणता आदि का उल्लेख किया है। रघुवंश नामक ग्रन्थ में राजा रघु के सम्बन्ध में कहा गया है कि उनको सबसे अधिक विश्वास अपने ज्ञान नेत्र पर है जिसके द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को अतिशीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं— सूक्ष्म कार्यार्थदर्शिना। कालिदास ने देशकाल के ज्ञान को राजा के गुण के रूप में स्वीकार किया है— देशकालज्ञः। राजा की व्यक्तिगत शूरता का उल्लेख कालिदास की रचनाओं में मिलता है—स्ववीर्यगुप्ता। कालिदास का मत है कि राजा में कठोर और कान्त दोनों प्रकार के गुणों का समावेश होना चाहिए—भीमकान्तैः गुणैः। विक्रमोवर्शीय नामक ग्रन्थ में राजा के आवश्यक गुणों के अन्तर्गत लोकप्रिय और कान्त गुणों पर अधिक बल दिया गया है। रघुवंश में वर्णन मिलता है कि राजा को राज्य संस्कारों में दक्ष—विधिज्ञः तथा जितेन्द्रिय होना चाहिए। आभिज्ञानशाकुन्तल में पराक्रमी एवं प्रतापी राजा दुष्यन्त का उल्लेख मिलता है। विशाखदत्त ने भी राजा के गुणों का उल्लेख किया है मुद्राराक्षस में कहा गया है कि राजा को नीति, पराक्रम और कुलीनता के गुणों से युक्त होना चाहिए— वृष्णीनामिव नीतिविक्रमगुणव्यापारशान्तवृषां नन्दानां विपुले कुलेडकरुणयानीते नियत्याक्षम्। विशाखदत्त ने धर्मपरायणता लोकव्यहार, शौर्य, गंभीरता, विवेकशीलता न्यायपरायणता, परोपकार की भावना देशकाल का ज्ञान, कठोर एवं कान्त गुणों का समावेश तेजस्विता आदि गुणों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के समान विशाखदत्त ने भी स्वीकार किया है कि प्रजा राजा के गुणों के कारण याद करती है।

संदर्भ

1. शाकु० पृ० 154
2. मुद्रा० अंक पृ० 187
3. कौ० 1:13 मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा मनुं वैवस्वतं राजानंचक्रिरे
4. मनु० 7:3, 7:14, शुक्रनीतिसार 7:71
5. रामायण 2:67, शांतिपर्व 15:30 एवं 67:16, कामन्दक 2:40 मत्स्यपुराण 225:9
6. रघु० 18:36
7. रघु० 12:12
8. मुद्रा० अं० क० 2 पृ० 180

9. B. VIII. 12
10. कौ० 6:1
11. पी०वी० काणे धर्मशास्त्र का इतिहास भाग 2 पृ० 597
12. याज्ञ० 1:309-311, 334
13. मनु० 7:32-44, शान्तिपर्व 57:12-70, कामन्दक 1:21-22,
4:6-24, 15:31, शुक्र० 1:73-86
14. रघु० 17:34 सममेवोत्थितो गुणैः
15. रघु० 1:13, 1:37, 18:40